भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 563

(दिनांक 29.11.2024 को उत्तर देने के लिए)

प्रसारण विधेयक का प्रारूप

563. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रसारण विधेयक के प्रारूप के संबंध में सरकार की परामर्श प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और परामर्श प्रक्रिया में शामिल किए गए हितधारकों का ब्यौरा, परामर्श प्रक्रिया का स्वरूप और उसके परिणाम आदि क्या हैं;

(ख) क्या सरकार प्रसारण विधेयक का संशोधित प्रारूप लाने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो परामर्श प्रक्रिया, परामर्श के स्वरूप और प्रारूप विधेयक को जारी करने की समय- सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार पारदर्शी लोक परामर्श प्रक्रिया सुनिश्चित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): प्रसारण सेवाएं (विनियमन) विधेयक, 2023 के प्रारूप को दिनांक 10.11.2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था, जिसमें आम जनता और हितधारकों से दिनांक 09.12.2023 तक राय/टिप्पणियां/सुझाव मांगे गए थे, बाद में इस अवधि को 15.01.2024 तक बढ़ा दिया गया।

हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के दौरान व्यक्त व्यापक विचारों के आधार पर टिप्पणियों के लिए दिनांक 15.10.2024 तक अतिरिक्त समय दिया गया।
